तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 45/2017 संदीप कौर आदि बनाम गुरसेवक सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
29.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए 14 एम एल मु.नं. 36 कि.नं. 1–10–11–20–21 में 2–2 विस्वा पश्चिमी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 व 6 ने हाजिर आकर जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया सन्दीपकौर द्वारा अपना रकबा वेचान करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर क्रमांक राजस्व/19/27 दिनांक 27.02.2019 के प्रथम पहरा की अंतिम पंक्ति के अनुसार "प्रार्थी सन्दीप कौर पत्नी स्वर्णसिंह ने भूमि वेचान कर दी है। रास्ता की मांग औचित्यहीन हैं।" बहस पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीया सन्दीप कौर द्वारा अपनी भूमि का वेचान कर दिया गया हैं। तथा वकील प्रार्थी द्वारा इस संवंध में कोई एतराज अथवा संदीप कौर को वतौर पक्षकार विलोपित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा भूमि वेचान कर देने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के आधार पर खारिज किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner